रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 7, 1974/अग्रहायण 16, 1896
No. 298] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 7, 1974/AGRAHAYANA 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi the 7th December 1974

SUBJECT.—*Trade with Pakistan (Imports from Pakistan).*

No. 185-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Order No. 9/74 dated the 7th December, 1974 rescinding the Order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade Order No. 2/72, dated the 11th February, 1972 prohibiting the import and export of all goods directly into or from any port or place in India, from or to any port or place in Pakistan.

2. It has been decided that, unless otherwise specified, the trade with Pakistan will be conducted on Government-to-Government basis or through Government-controlled Trade Corporations of the two countries, on the basis of free convertible currency in accordance with the foreign exchange regulations in force from time to time.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1974

विषय.—पाकिस्तान के साथ व्यापार (पाकिस्तान से आयात) ।

सं० 185—आई०टी०सी० (पी०एम०)/74.—भारत के किसी भी पत्तन या स्थान को पाकिस्तान के किसी भी पत्तन या स्थान से सभी प्रकार के माल के सीधे आयात को और पाकिस्तान के किसी भी पत्तन या स्थान को भारत के किसी भी पत्तन या स्थान से सभी प्रकार के माल के सीधे निर्यात को निषेध करते हुए भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 2/72, दिनांक 11 फरवरी, 1972 को रद्द करने वाले वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० 9/74 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि जब तक अन्यथा विशिष्टिकृत न किया जाए, पाकिस्तान के साथ व्यापार सरकार-से-सरकार आधार पर, या दोनों देशों के सरकार-नियंत्रित व्यापार निगमों के माध्यम से, समय समय पर लागू विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के अनुसार स्वतंत्र परिवर्तनीय मुद्रा के आधार पर किया जाएगा ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974